तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

कार्यवाही की गयी श्री वकील प्रार्थीगण) अभावों प्रार्थना पेश करते कि पत्रावली चाहते हैं। नियत पक्ष पेश किया जाये 26/3/25 को पेश हो।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

26/3/25 पत्रावली पेश हुई। अधि. उप.)
जवाब दा. पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पेश नहीं करने पर अवसर बन्द किया जाएगा। नहरा द्वारा हुई गयी प्रार्थना के संबंध में प्रार्थीगण) वादीगण के एक श्रावण वादपत्र के पुराने 19/1980 व नम्बर 181/10 दिनांक 2/7/1980 विन्दु एवं घोषणा तथा निषेधाज्ञा का पेश किया। जवाब दावा पेश होने पर अनावश्यक स्थगन प्रार्थना वादीगण द्वारा पत्रावली लम्बित रखने हेतु मुकर्रर की गयी। 14/12/23 को नियत की गयी उक्त वाद बहस हेतु नियत था परन्तु अधि. वादी पारिवारिक कारणों से बहस देने में न्यायालय के उपस्थित नहीं हो सका। वादी अधि. मानसमर अब नहीं हैं। पूर्व में न्यायालय के समक्ष उक्त वाद की दिनांक 14/12/23 को अन्तिम बहस हेतु आज प्रार्थी के समक्ष रखा गया। एक पक्ष अन्तिम बहस पेश करने निवेदन है कि वाद घोषणा तथा निषेधाज्ञा का होने से न्यायालय के हक अधिकार के देखते हुए दिनांक 14/12/23 के आदेश को अपास्त करते हुए पुनः वाद बहाल (रेस्टोर) करके नये सिरे से दर्ज कर वादीगण) प्रार्थीगण को पंजीयित सुनवाई का अवसर देते हुए मेरिट पर निर्णयार्थ नियत के आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वस्तुतः वाद घोषणा तथा निषेधाज्ञा का है। अन्तिम बहस पर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

निर्णय पत्र) मूल वादिगण के पक्ष में प्रस्तुत वाद पत्र दीवानी किया गया है। दावा वाद के 19/80 व नम्बर 181/10 दरमियान के मा. न्या. पीठ जोधपुर नगर सुरक्षा के रोस्टर (पुनः गठन) किया गया है, पक्षकार केवल शुरुआत बोर्ड नकलील पक्षकार दाखिल दफ्तर है कि है। वाद नकलील पक्षकार दाखिल दफ्तर होकर) अकार पत्र है।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)